International Journal of Advanced Education and Research
ISSN: 2455-5746, Impact Factor: RJIF 5.34
www.newresearchjournal.com/education
Volume 1; Issue 4; April 2016; Page No. 84-86

रीवा जिले के ग्रामीण विकास में स्वरोजगार योजनाओं का प्रभाव–एक आर्थिक विश्लेषण (स्वर्ण जंयती स्वरोजगार योजना, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, मध्यप्रदेश एवं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के विशेष संदर्भ में)

संस्तुति पाण्डेय, डॉ0 सोमदत्त पाण्डेय

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र, शा. शहीद केदारनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मऊगंज, जिला–रीवा, मध्य प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

बीसवीं शताब्दी में उपनिवेशवादी व्यवस्था से स्वतन्त्र हुए राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था पूर्णतः जर्जर थी। इन स्वतंत्र हुए राष्ट्रो की सबसे बड़ी समस्या आर्थिक विपन्नता, निरक्षरता, बेरोजगारी एवं विकास की थी। औपनिवेशिक स्वतंत्रता के 6–7 दशकों ने यह तो प्रमाणित किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था एक श्रेष्ठतम् व्यवस्था है। इसके साथ ही इन राष्ट्रों में लोकतन्त्र का लोक कल्याणकारी प्रारूप मानव विकास की दृष्टि से श्रेष्ठतम प्रारूप था। अल्प विकसित और अविकसित राष्ट्रों का मुख्य फोकस ग्रामीण विकास तथा मानवीय संसाधन को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना रहा है। स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के साथ–साथ ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को विशेष गति मिली। 1952 में प्रारम्भ की गयी योजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा योजना आयोग द्वारा समग्र राष्ट्रीय विकास सम्बन्धित योजनाएँ, परियोजनाएँ तथा विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रारम्भ हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, उर्जा, गरीबी उन्मूलन, ग्राम विकास, सामाजिक कल्याण तथा विकास से सम्बन्धित लगभग समस्त क्षेत्रों को विकास की प्रक्रिया से जोड़े जाने का प्रयास शुरू किया। स्वतंत्र भारत का एक प्रमुख नारा– ''सबको रोटी सबको काम'' स्वाधीन भारत की लगभग सभी सरकारों द्वारा बुलन्द किया गया है और ये नारे एवं शासन के प्रयास निष्फल नहीं रहे। इनका सकारात्मक प्रभाव सामाजिक व्यवस्था पर पड़ा किन्तु जनसंख्या विस्फोट के दबाव, संकुचित होते हुए सार्वजनिक क्षेत्र, रोजगार सृजन के प्रयासों को अपेक्षित गति नहीं दे सके। फलतः 6–7 दशक बाद भी 'सबको रोटी सबको काम' का स्वप्न पूर्णतः साकार नहीं हो सका है। समस्त प्रकार की शासन व्यवस्थाओं तथा प्रशासनिक प्रणालियों में मानव विकास को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाता है। आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्यों का दर्शन, चिंतन तथा प्रयास पूर्णतः मानव संसाधन विकास को समर्पित हैं। क्योंकि मनुष्य के सर्वागींण विकास के बिना राज्य के विकास या सरकार के अस्तित्व की कल्पना व्यर्थ है।

23 अप्रैल 2002 को भारत सरकार द्वारा जारी की गई प्रथम मानव विकास के आँकड़े मानव विकास का उजला पक्ष सामने रखते है। रिर्पोट के अनुसार 1991–2001 में समग्र मानव विकास में बेहतर सुधार हुआ है। 2000–2001 के दौरान मानव विकास सूचकांक में 3 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि दर अन्य प्रदेशों के साथ मध्यप्रदेश में भी दर्ज की गयी, किन्तु जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही है। कटु यथार्थ यह है कि भारत के लगभग 6 लाख गाँवों में निवास करने वाली 74.3 करोड़ जनसंख्या में एक चौथाई से कहीं अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। रोजगार एवं संसाधन के नाम पर इस ग्रामीण जनसंख्या के पास कुछ भी नहीं है। कुल ग्रामीण जनसंख्या में 31 करोड़ मजदूर हैं, जिनमें 8.08 करोड़ सीमांत मजदूर सम्मिलित हैं। 12.47 करोड़ काश्तकार, 10.24 करोड़ खेतिहर मजदूर तथा 1.21 करोड़ घरेलू मजदूर के रूप में विवशतापूर्ण जीवन यापन करते हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा सन् 2008 में जारी सर्वेक्षण आँकड़ों के अनुसार देश में शहरी एवं ग्रामीण औसत उपभोग में भारी अन्तर है। शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग व्यय जहाँ 1171 रूपये है, ग्रामीण क्षेत्रों में यह मात्र 625 रूपये है। देश में जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण खाद्यान्न उपलब्धता में भारी कमी है। ग्रमीण भारत की विगत दशकों में सबसे बड़ी समस्याओं में प्रमुख ग्रामीण श्रम का शहरों की ओर पलायन है। इस नगरीय पलायन से जहाँ नगरों में मजदूरों एवं श्रमिकों की बाढ़ है वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा ग्रामीण विकास पर प्रश्न चिन्ह भी है। ग्रामीण श्रम के शहरों की ओर पलायन की मूल वजह ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सुचारू संचालन, योजनाबद्ध कार्यक्रम का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अथवा स्वरोजगार योजनाओं के प्रोत्साहन में असफलता हो सकती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में (2007–2012) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों (जिसमें स्वरोजगार योजनाएँ भी सम्मिलित हैं) में अधिकाधिक धन व्यय किए जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त किया गया है। जिसके परिणाम आने शेष हैं।

विविध आँकड़ों का अध्ययन करने से पता चलता है कि देश के ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार एवं रोजगार उपलब्ध कराने के कार्यक्रमों की स्थिति अत्याधिक चिन्ताजनक है। आवश्यकता है ग्रामीण जनसंख्या को स्वरोजगार कार्यक्रमों से जोड़ने की तथा काम की तलाश में उनके पलायन को रोकने की। क्रियान्वयन स्तर पर सरकारी प्रयासों को गति प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। ग्रामीण श्रम का अधिकांश भाग अकुशल श्रम का है। ऐसे अकुशल श्रमिकों को स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ कर ग्रामीण विकास के मॉडल को सही रूप दिए जाने की आवश्यकता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन रीवा जिले के ग्रामीण विकास में स्वरोजगार योजनाओं की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। शोध अध्ययन रीवा जिले में संचालित स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन, हितग्राहियों का आकार तथा इन योजनाओं के ग्रामीण विकास से सह–सम्बन्ध के अध्ययन पर केन्द्रित है। जिले में संचालित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, काम के बदले अनाज योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, विवेकानन्द समूह बीमा योजना, एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम, सूरज धारा योजना, अन्नपूर्णा योजना, खेत–तालाब योजना, ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना तथा ग्रामीण विकास से सम्बन्धित अन्य योजनाओं के स्वरूप, कार्य क्षेत्र, क्रियान्वयन स्तर, हितग्राहियों की स्थिति, उनका स्वरूप इत्यादि के विश्लेषण के माध्यम से ग्रामीण विकास के प्रारूप को समझना है। अध्ययन का उद्देश्य निम्नानुसार है –

1. शासन द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं की प्रभाविता का अध्ययन
2. स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन एवं ग्रामीण विकास में सह–सम्बन्ध को समझना।
3. जिले की ग्रामीण (आर्थिक रूप से विपन्न) जनसंख्या के आर्थिक उन्नयन में इन योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन।

4. ग्रामीण श्रम, पलायन रोकने एवं रोजगार सृजन में योजनाओं की भूमिका का अध्ययन।
5. ग्रामीण विकास के प्रतिमान के रूप में इन योजनाओं के क्रियान्वयन का अध्ययन।
6. योजनाओं के क्रियान्वयन एवं हितग्राहियों को लाभ पहुँचाने में आने वाली विसंगतियों तथा समाधान के उपाय का विश्लेषण।
7. योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं अधिकाधिक लोकहितोन्मुख बनाये जाने हेतु सुझावों का विश्लेषण।
8. ग्रामीण निर्धन परिवार, अकुशल श्रमिकों, गरीब अनूसूचित जाति जनजाति के लोगों को रोजगार मूलक कार्यों के प्रति प्रेरित करने में योजनाओं की भूमिका का अध्ययन।

अध्ययन विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में मुख्य रूप से तीन स्वरोजगार योजनाओं का अध्ययन किया गया है जो इस प्रकार हैं–स्वर्ण जंयती स्वरोजगार योजना, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, मध्यप्रदेश एवं प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इन स्वरोजगार योजनाओं का रीवा जिले पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन प्रस्तुत शोध पत्र में किया गया है। शोध अध्ययन की प्रकृति मूलतः आनुभविक है। अतः अध्ययन के दौरान प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों के प्रयोग की पर्याप्त सम्भावना है। द्वितीयक स्रोतों में पुस्तकालय, पत्र–पत्रिकाएँ एवं सन्दर्भ ग्रन्थों से आँकड़े संकलित किए जायेगें, साथ ही विषय की आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिक स्रोतों में साक्षात्कार, अनुसूची, अवलोकन एवं प्रश्नावली के द्वारा शोध कार्य की विश्वसनीयता बनाये रखने का यथा सम्भव प्रयास किया गया है। शोध कार्य के दौरान गवेषणात्मक अन्वेषणात्मक, विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक प्रविधियों के यथा सम्भव प्रयोग द्वारा आवश्यक तथ्य संकलन किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार की स्थिति, स्वरोजगार सृजन के अवसर एवं हितग्राहियों के साक्षात्कार द्वारा अध्ययन को सारपूर्ण एवं अधिक विश्वसनीय बनाये जाने का प्रयास किया गया है। अध्ययन में संकल्पनात्मक पद्धति (Hypothetical Method) के माध्यम से प्राक्कल्पना तैयार कर उसके अनुसार अध्ययन विषय को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।

शोध कार्य के दौरान शोधार्थी द्वारा दैव निदर्शन, यादिच्छिकृत, सोद्देश्यपरक स्तरीय निदर्शन का आवश्यकतानुसार प्रयोग कर प्राथमिक समंकों का संकलन का प्रयास किया गया है। जिससे अध्ययन को उपयोगी एवं अधिक विश्वसनीय बनाया जा सके। शोध कार्य निम्नानुसार प्राक्कल्पनाओं (Hypothesis) पर आधारित है–

- ग्रामीण विकास में स्वरोजगार योजनाओं की महती भूमिका है।
- ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार योजनाओं की अन्योन्याश्रितता है।
- स्वरोजगार योजनाओं का उचित एवं सफल क्रियान्वयन ग्रामीण विकास के साथ–साथ ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने का माध्यम है।
- स्वरोजगार योजनाएँ ग्रामीण श्रम शक्ति के नगरीय पलायन को रोकती है।
- स्वरोजगार योजनाएँ ग्रामीण आत्म निर्भरता का सही प्रतिमान प्रस्तुत करती है।
- स्वरोजगार योजनाओं के सटीक मूल्यांकन (Monitoring) एवं सफल क्रियान्वयन न होने से उचित हितग्राहियों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है।
- स्वरोजगार योजनाओं के लिए शासकीय अनुदान के साथ–साथ, उसके उपयोग हेतु समयबद्ध कार्यक्रम एवं उपयोग का प्रमाणन आवश्यक है।
- शासकीय अनुदान के साथ–साथ तकनीकी प्रशिक्षण, योजनाओं के क्रियान्वयन एवं हितग्राहियों को सही लाभ पहुँचाने के लिए आवश्यक है।
- अकुशल श्रमिकों के लिए श्रमदान एवं श्रम के बदले मानदेय जैसे कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से संचालित किया जाना अपरिहार्य है।

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष

स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में स्व सहायता समूहों का प्रशिक्षण मानक स्तर का होना चाहिए। मात्रात्मक के स्थान पर गुणात्मक प्रशिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम समूह संचालन एवं गतिविधि दोनों से सम्बन्धित होना चाहिए। इसमें समूहों से गतिविधि पर वृहद चर्चा की जानी चाहिए। प्रशिक्षण स्थानीय स्तर पर आयोजित किया जाये इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें समूहों के सदस्यों की उपस्थिति को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। सामान्यतः प्रशिक्षण एक दिवसीय होना चाहिए, जिसमें सभी महत्वपूर्ण विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण का एक सुसंगत मॉडल तैयार किया जाना चाहिए। इससे समूहों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकेगी। आधुनिक युग विज्ञापन प्रधान युग है, जहाँ उत्पादों की पहचान उनके ब्रांड से होती है। विज्ञापनों पर अधिक से अधिक खर्च कर उन्हें आकर्षक बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि ये प्रचार अधिकाधिक जन मानस को प्रभावित कर सकें। बाजार की इस अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए उत्पादों के पैंकिंग को आकर्षक बनाया जाना चाहिए। साथ ही दृश्य श्रव्य विज्ञापनों द्वारा उनका अधिकाधिक प्रसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। समूह निर्माण के पश्चात् उनका सतत् निरीक्षण परीक्षण किया जाना चाहिए। पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी विभिन्न समूहों से चर्चा करते रहना चाहिए। ताकि चलाये जा रहे विभिन्न राज्य प्रायोजित कार्यक्रमों में बेहतर अंतर्सम्बन्ध स्थापित किया जा सके। ग्राम सभा में समूह के सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य की जानी चाहिए।

समूहों को आर्थिक सहायता एवं अनुदान उन्हें आत्म निर्भर एवं सक्षम बनाने के लिए दिया जाये न कि पराश्रित बनाने के लिए। इस हेतु एक सुझाव यह हो सकता है कि समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विक्रय पर आर्थिक सहायता देकर उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाया जाये। सब्सिडी उत्पादन के पूर्व देने के बजाये, विक्रय पर दी जानी चाहिए, ताकि राशि का दुरूपयोग न हो और सदस्य उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित हो सकें।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, मध्यप्रदेश

'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, मध्यप्रदेश एक महत्वाकांक्षी योजना है इसके सफल क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि योजना के प्रत्येक स्तर पर विशेष सावधानी रखी जाये। सर्वप्रथम जॉब कार्ड का निर्माण व्यापक जानकारी के पश्चात् किया जाये, फोटो चस्पा करने के कार्यों में शीघ्रता की जाये। जॉब कार्ड निर्माण हेतु ग्रामवासियों को उनके कृषि कार्य के अतिरिक्त समय पर बुलाया जाये। ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से हो इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ग्राम सभा में अधिकांश व्यक्तियों की उपस्थित को अनिवार्य किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले शासकीय कर्मचारियों के चयन में मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक विधियों का प्रयोग किया जाये।

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मजदूरों को शीघ्रातिशीघ्र मजदूरी प्राप्त हो। जिला स्तर के अधिकारियों को सभी श्रमिकों के बैंक खाते खुलवाने हेतु सक्रिय कदम उठाना चाहिए। प्रशासन की पद सोपानिक व्यवस्था को लचीला बनाये जाने की आवश्यकता है, ताकि योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की प्रासंगिकता बनी रहे। ग्रामीण अंचलों में शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने के साथ ही इसमें कम्प्यूटर शिक्षा को भी अनिवार्य स्थान दिया जाना चाहिए। जनपद स्तर पर एम.आई.एस. फीडिंग हेतु टर्मिनलों की संख्या

बढ़ायी जाये। सूचना के अधिकार को प्रभावी रूप से लागू करने की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इन्टरनेट पर स्वघोषणा के तहत् उपलब्ध जानकारी को समय–समय पर अद्यतन किया जाये। योजनांगर्तत किए जाने वाले कार्यों में उत्पादकता का विशेष ध्यान रखा जाये, इस हेतु विशेषज्ञ समिति का परामर्श भी लिया जा सकता है।

ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में साक्षरता की कमी ग्राम सभा के कार्यों यथा कार्यों के चयन एवं सामाजिक ऑडिट को निष्प्रभावी बना देती है। विभिन्न योजनाओं में बैंक सम्बद्धता एक आवश्यक बिन्दु होता है। परन्तु बैंक शाखाओं के अपर्याप्त होने के कारण यह सुविधा सभी को सुलभ नहीं हो पाती है। कर्मचारियों के अभाव से बैंक, योजना सम्बन्धी कार्यों को प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं। पारिवारिक ऋणग्रस्तता के कारण ग्रामवासी साहूकारों के चंगुल में फंसे रहते हैं एवं बैंक की साख सुविधाओं का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक संगठनों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। उन्हें प्रेरणा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रेरक उपाय किए जाने चाहिए। योजनांतर्गत प्रशिक्षण हेतु एक सुसंगत मॉडल तैयार किया जाना चाहिए। योजना क्रियान्वयन के प्रत्येक स्तर पर हितग्राहियों एवं कार्यक्रम अधिकारियों दोनों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

रीवा जिले में बेरोजगारी को दूर करने हेतु एवं इसके समाधान हेतु कई स्वरोजगार योजनाएँ शासन द्वारा चलाई जा रहीं हैं, शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने हेतु सभी वर्गों के युवाओं के लिए शासन द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई जा रही है। यह योजना वर्ष 1993–94 से ही रीवा जिले में, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रीवा द्वारा संचालित की जा रही है। कई वर्षों से यह योजना जिले की बैंकिंग व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डाल रही है। इसका कारण योजना के तहत् ऋण प्राप्त करने के पश्चात् हितग्राहियों द्वारा ऋणों का पुनर्भुगतान नहीं किया जाना है।

योजनान्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम में विषय–विशेषज्ञ के रूप में स्थानीय प्रसिद्व व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाए तथा बाजार प्रबंधन के संदर्भ में विस्तृत जानकारी पशिणार्थियों को विशेष रूप से दिलाई जाए। शासन को औपचारिक शिक्षा संस्थाओं के स्थान पर रोजगार–मूलक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने पर बल देना चाहिए। इन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना सरकारी क्षेत्र के बजाय निजी क्षेत्र में हो, जिन्हें शासन मान्यता प्रदान करें तो जिले के अनेक व्यक्तियों को काम मिल सकेगा। जिले में फैशन डिजाइनिंग और गारमेन्ट्स निर्माण का प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। ऋण वितरण प्रणाली ऐसी हो जिससे हितग्राही पहले से ही भलीभांति अवगत होकि उसे उसके द्वारा आवेदित व्यवसाय/उद्योग लगाना ही पड़ेगा तथा उसे अवश्य ही चालू रखना होगा। ऐसा तभी सम्भव है जब हितग्राही को इस बात का भय होगा कि उसे ऋण राशि मय ब्याज के बैंक को वापस करनी ही होगी।

अधिकांश प्रकरणों में यह पाया गया है कि हितग्राहियों द्वारा आवेदित राशि से कम राशि बैंकों द्वारा वितरित की गई है, जिसके कारण हितग्राही को भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा है। अतः शोधार्थी का सुझाव है कि बैंकों को शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न व्यवसायों के अनुरूप परियोजना लागत को प्रतिवर्ष आर्थिक व्यवहार्यता के अनुरूप पुनरीक्षित करना चाहिए। इससे हितग्राहियों को पर्याप्त वित्तीय सहायता का वितरण करने में बैंको को आसानी होगी। इस योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये जाने चाहिए कि येाजनान्तर्गत चयनित हितग्राहियों को उनकी आवश्यकतानुसार आवश्यक प्रलेख तथा अनुमतियाँ शीघ्रता–शीघ्र बिना आर्थिक लाभ लिए दी जानी चाहिए। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए, इससे अन्य कर्मचारियों में भय का वातावरण बनेगा और वे ईमानदारी से कार्य करेंगे।

संदर्भ

1. अग्रवाल एम.डी., अग्रवाल एन.पी.–वित्तीय प्रबंध, रमेश बुक डिपो, जयपुर, 1988।
2. अग्रवाल के. एल.–विन्ध्य क्षेत्र का ऐतिहासिक भूंगोल प्रथम संस्करण, 1987।
3. दयाल, पी.–भारतीय आर्थिक समस्याएँ एवं नीतियॉ लायल बुक डिपो, सरस्वती सदन, ग्वालियर।
4. जिला साख एवं कार्य योजना,जिला उद्योग केन्द्र, रीवा।
5. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, जिला सांख्यकी कार्यालय रीवा, 2009।
6. जैन, बी.एम.–रिसर्च मैथ्डोलॉजी रिसर्च पब्लिकेशन्स जयपुर, 1997।
7. कुच्छल, सुरेश चन्द्र–भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था, चैतन्य पब्लिशिंग हाऊस, इलाहाबाद, 1971।
8. कुलश्रेष्ठ, आर. एस.–औद्योगिक अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा,1998।
9. मिश्र पंचनारायण–उद्यमी, उद्योग और स्वरोजगार उद्यमिता विकास केन्द्र भोपाल, 1995।
10. मिश्र, एस.के. एवं पुरी–भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिशिंग हाऊस, मुंबई, 1990।
11. प्रधान मंत्री रोजगार योजना, एवं अन्य योजनाएँ, जिला उद्योग केन्द्र, रीवा, परिचय एवं प्रगति, 2009।
12. शुक्ल एंव सहाय–सांख्यिकी के सिद्धांत साहित्य भवन आगरा, 1994।